न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 22 सन 2019

अनवान :–

1. मदनलाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 4/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 70/63 के खसरा न0 21/0.4550 ,37/0.2780 ,39/0.1770, 40/460 कुल 6. 0950हैक भूमि जिसमें में प्रार्थी पिता श्योचन्द पुत्र मौजीराम जाति जाट साकिन निराहनिया तहसील सिरसा सयुक्त रूप से 82 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी के पिता श्योचन्द पुत्र मोजीराम जाति जाट साकिन निराहनिया में फोत हो चुके है प्रार्थी अब 1982 से लगातार ग्राम चाईया में निवास कर रहे है प्रार्थी के पिता पूर्व में ग्राम निराहनिया में निवासी करते थी इसलिये स्थाई पता ग्राम निराहनिया दर्ज हो गया तथा प्रार्थी का परिवार चाईया में निवास करता है इसलिये प्रार्थी अपना निवास स्थान निराहनिया के स्थान पर चाईया दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का पता राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं मतदाता सूचि में प्रार्थी का पता चाईया तहसील रावतसर अंकित है वादी अपना पता राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रार्थी के स्थाई निवास का राजस्व रिकार्ड में सही करने हेतु निवेदन किया किन्तु संशोधन करने से इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लाखासर के खाता संख्या 70/63 के खसरा न0 21/0.4550 ,37/0.2780 ,39/0.1770, 40/460 कुल 6.0950हैक भूमि में प्रार्थी निवास स्थान निराहनिया के स्थान पर चाईया संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का पता राजस्व रिकार्ड में गलत होने के सम्बध में साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 70/63 की कुल 6.0950हैक भूमि जिसमें में प्रार्थी पिता श्योचन्द पुत्र मौजीराम जाति जाट साकिन निराहनिया तहसील सिरसा सयुक्त रूप से 82 हिस्सा दर्ज है।

प्रार्थी के पिता श्योचन्द पुत्र मोजीराम जाति जाट साकिन निराहनिया में फोत हो चुके है प्रार्थी अब 1982 से लगातार ग्राम चाईया में निवास कर रहे है प्रार्थी के पिता पूर्व में ग्राम

निराहनिया में निवासी करते थी इसलिये स्थाई पता ग्राम निराहनिया दर्ज हो गया तथा प्रार्थी का परिवार चाईया में निवास करता है इसलिये प्रार्थी अपना निवास स्थान निराहनिया के स्थान पर चाईया दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का पता राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं मतदाता सूचि में प्रार्थी का पता चाईया तहसील रावतसर अंकित है वादी अपना पता राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सरंपच ग्राम पंचायत चाईया के द्वारा भी प्रार्थी व उसके परिवार के निवास की पुष्टि की गई हैप्रार्थी का सही पता चाईया संशोधन करने से कोई राज्यहित प्रभावीत नही होते बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें ।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के पता मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना स्वीकार है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 70/63 के खसरा न0 21/0.4550 ,37/0.2780 ,39/0.1770, 40/460 कुल 6.0950हैक भूमि जिसमें में प्रार्थी पिता श्योचन्द पुत्र मौजीराम जाति जाट साकिन निराहनिया तहसील सिरसा सयुक्त रूप से 82 हिस्सा दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि उसका निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में निराहनिया दर्ज है क्योकि पूर्व में उसके पिता निराहनिया रहते थे जिनका देहान्त हो गया है प्रार्थी व उसका परिवार चाईया में निवास करते है इसलिये प्रार्थी का निवास स्थान निराहनिया के स्थान पर चाईया दर्ज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड पेश किया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का निवास स्थान चाईया अंकित है। सरपच ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी एंव उसका परिवार ग्राम चाईया तहसील रावतसर का रहने वाला है इनको में व्यक्तिगत रूप से जानता हु ग्राम चाईया में रहने की तस्दीक करता हु।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान चाईया होना प्रतित होता है एवं पेरोकार राज को भी राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने पर कोई ऐतराज नही है प्रार्थी का पता राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत चाईया के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 70/63 के खसरा न0 21/0.4550 ,37/0.2780 ,39/0.1770, 40/460 कुल 6.0950हैक में प्रार्थी के पिता श्योचन्द पुत्र मौजीराम का निवास स्थान निराहनिया दर्ज है के स्थान चाईया तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)